

परिपत्रांक सी-९।/कृषि निवेश/बी-250टी०सी० दिनांक लखनऊ मार्च 14-2017

1. समस्त सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक,
सहकारिता, उ०प्र०।
2. समस्त सचिव/महाप्रबन्धक,
जिला सहकारी बैंक लि०।
3. समस्त जिला प्रबन्धक
पी.सी.एफ. उ०प्र०।

विषय:—क्रेडिट पर इफको यूरिया उर्वरकों की समितियों को आपूर्ति के सम्बन्ध में।

राज्य विपणन प्रबन्धक, इफको लखनऊ के पत्रांक 5633-48 दिनांक 06.03.2017 एवं पत्रांक 5737-52 दिनांक 09.03.2017 द्वारा क्रेडिट पर मार्च 2017 में इफको यूरिया कय करने पर दिनांक 30-06-2017 तक क्रेडिट पीरियड की सुविधा प्रदान करने के प्रस्ताव के क्रम में अधोलिखित शर्तों के अधीन इफको यूरिया आपूर्ति की जायेगी:-


- 1-दिनांक 01-03-2017 से दिनांक 31-03-2017 के मध्य निर्गत रिलीज आर्डर के सापेक्ष ही उपर्युक्त क्रेडिट सुविधा अनुमन्य होगी।
- 2-क्रेडिट पर कय करने वाली समितियों को दिनांक 30-06-2017 तक का क्रेडिट पीरियड अनुमन्य होगा। समितियों द्वारा पोस्टडेटेड जी०पी० चेक अथवा जिला सहकारी बैंक द्वारा निर्गत बैंक आथारिटी के सापेक्ष उर्वरकों की आपूर्ति की जायेगी।
- 3-यूरिया के मूल्यों में कमी होने पर समिति/बिकी केन्द्रों पर इस योजनान्तर्गत आपूर्ति अवशेष सम्भार पर अन्तर मूल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति इफको द्वारा की जायेगी।
- 4-डेफर्ड योजना पैक्स/उर्वरक बिकी केन्द्रों को आपूर्ति यूरिया उर्वरक पर ही लागू होगी।
- 5-सेट/खराब उर्वरक को इफको द्वारा अपने व्यय पर वापस लिया जायेगा।
- 6-रैक प्वाइन्ट से यूरिया का प्रेषण जनपद बफर में किया जायेगा तदोपरान्त प्रथम आगत प्रथम निर्गत (FIFO) का पालन करते हुए बफर से बिकी केन्द्रों को उर्वरकों का प्रेषण किया जायेगा।
- 7-जिन जनपदों में प्रीपोजीशनिंग योजना की यूरिया बफर में अवशेष है, वहां पर प्रीपोजीशनिंग योजना की यूरिया बफर में समाप्त होने पर ही डेफर्ड योजना की उर्वरक का प्रेषण समितियों/बिकी केन्द्रों को किया जायेगा।

(अरविन्द कुमार)
आयुक्त एवं निबंधक
सहकारिता, उ०प्र०
लखनऊ।

परिपत्रांक : सी-१/कृषि निवेश/बी- दिनांक उक्त ।

प्रतिलिपि:- अधोलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. राज्य विपणन प्रबन्धक, इफको, 8, गोखले मार्ग, लखनऊ ।
2. समस्त मण्डलीय संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबन्धक, सहकारिता, उ०प्र० ।
3. अपर आयुक्त एवं अपर निबन्धक, (कम्प्यूटर/वेब मास्टर) सहकारिता, उ०प्र०, मुख्यालय को वेब साईट पर अपलोड करने एवं सम्बन्धित के ईमेल पर प्रेषण हेतु ।
4. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
5. प्रबन्ध निदेशक, पीसीएफ, लखनऊ ।
6. समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र० ।
7. समस्त मंडलायुक्त, उ०प्र० ।
8. प्रमुख सचिव, कृषि/सहकारिता, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।


अपर आयुक्त एवं अपर निबन्धक(कृ०नि०)
सहकारिता, उ०प्र०,
लखनऊ ।